

प्रेस सूचना ब्यूरो

भारत सरकार

\*\*\*

**विशेष संरक्षण ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा में पारित  
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि गांधी परिवार की सुरक्षा हटाई  
नहीं गई है बल्कि बदली गई है**

**सिक्योरिटी कवर को स्टेटस सिंबल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, अब  
तक एक्ट में संशोधन हमेशा एक परिवार को सुरक्षा देने के उद्देश्य से किए गए –  
श्री अमित शाह**

**बदले की भावना से नहीं बल्कि खतरे के मद्देनजर सुरक्षा का पैमाना तय  
किया जाता है - केंद्रीय गृहमंत्री**

**बिल लाने का प्रमुख उद्देश्य सुरक्षा कवर को अधिक प्रभावी बनाना है–  
केंद्रीय गृह मंत्री**

नई दिल्ली, 28 नवम्बर 2019

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने विशेष संरक्षण ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा में प्रस्तुत करते हुए कहा कि देश में ऐसा संदेश जा रहा है कि गांधी परिवार की सुरक्षा कम करने के लिए बिल लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार की सुरक्षा हटाई नहीं गई है बल्कि सीआरपीएफ की जेड प्लस ( ए एस एल) से बदली गई है और इसमें सुरक्षा बलों की संख्या पहले से अधिक हुई है जिसमें एंबुलेंस सुविधा भी शामिल है। श्री शाह ने यह भी कहा कि इस परिवार ने अनेकों बार बगैर एसपीजी को सूचना दिए बगैर यात्राएं की। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ सेंट्रल एजेंसी है और उसकी सुरक्षा पूरे देश में विद्यमान है और इस बिल के बाद पूर्व प्रधानमंत्री को पांच वर्ष तक एसपीजी सुरक्षा कवर दिया जाएगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि विशेष संरक्षण ग्रुप (संशोधन) विधेयक में पहले के बदलाव एक परिवार को ध्यान में रखकर हुए किंतु पहली बार प्रधानमंत्री को ध्यान में रखकर

बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर, श्री पीवी नरसिम्हाराव, डॉ. मनमोहन सिंह की सुरक्षा बदलाव पर कोई शोर नहीं हुआ किंतु एक परिवार के नाम पर हो-हल्ला हो रहा है। पूर्व में भी सुरक्षा व्यवस्था पर आकलन के पश्चात बदलाव किए गए हैं। श्री शाह का कहना था कि केवल गांधी परिवार ही नहीं देश के सभी नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। उनका कहना था कि सभी नागरिकों को सुरक्षा देने की मंशा भी है और धारणा भी किंतु सबको एसपीजी की सुरक्षा नहीं दी जा सकती।

श्री शाह का कहना था कि पूर्णतया खतरे का आंकलन (श्रेट असेसमेंट) के आधार पर सुरक्षा में बदलाव किए गए हैं। एक सदस्य के सवाल के जवाब में श्री शाह का कहना था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सभी क्षेत्रों में बड़े और कड़े मापदंड स्थापित किए हैं।

श्री अमित शाह का कहना था कि सिक्योरिटी कवर को स्टेटस सिंबल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि एसपीजी प्रोटेक्शन का मतलब देश के प्रधानमंत्री को कार्यालय, संचार, आरोग्य तथा सुरक्षा की सुविधा प्रदान करना है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा देने से संख्या बढ़ती जाएगी जिससे प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ेगा। श्री शाह का कहना था कि इस बिल को लाने का प्रमुख उद्देश्य देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा कवर को अधिक प्रभावी बनाना है।

\*\*\*\*

डा.वीजी/एसएनसी/डा.डीडी/एसएस